

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 715

दिनांक 04/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.सोना 2.भीया पि.मीटा
जातियान दर्जी,
निवासी भोमासर (तारातरा)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.रेखा पुत्र सामा 2.अचला 3.गोरधन पि. नवला,
जाति नाई 4.वगता पुत्र हरचंद 5.शंकरा 6.दमा
पि.भगवाना जातियान दर्जी 7.हेमा पुत्र कुम्भा
8.कंसरा 9.कालू पि. मूला, जातियान जाट,
निवासी भोमासर (तारातरा), तहसील चौहटन,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 131/2021

दिनांक : 04.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा भोमासर के खेत खसरा सं. 1461/1086 रकबा 02.00 बीघा, खसरा सं. 1464/1082 रकबा 24.12 बीघा एवं मौजा नरोंणियो का तला के खेत खसरा सं. 1445/1326 रकबा 43.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पैमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 716 to 719

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण सोना वगैरा
3. विप्रार्थीगण रेखा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भापीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

04/04/2022



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन

चौहटन